100

महत्वपूर्ण

संख्या–1341/नौ–5–2012–111बजट/2010

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
3– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
4– निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– महाप्रबन्धक, समस्त जलकल विभाग, नगर निगम, उ0प्र0/ जल संस्थान, झाँसी, चित्रकूटधाम मण्डल, कर्वी–बांदा।
6– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2012

विषयः ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य स्थानीय नागर निकायों तथा इससे अधिक के कार्य सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1981/नौ–05–2005–70सा/04 दिनांक 20 जून, 2005 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–7092/नौ–5–2010–111बजट/2010, दिनांक 04.11.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ₹ 50.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

Ab.1/TL
- Web site ue
7/6/12

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.11.2010 में सम्यक् विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा तथा ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3– पेयजल तथा सीवरेज से संबंधित कार्यो के संबंध में शासनादेश संख्या–1981/नौ–5–2005–70सा/04 दिनांक 20.06.2005 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,

30/5/2012

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।